प्रेस नोट थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहांपुर पुलिस

सराहनीय कार्य, दिनांक 11.02.2025

थाना सदर बाजार पुलिस को मिली बडी सफलता, थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त अफरोज पुत्र अमरअली शाह को सूचना मिलने के उपरान्त 24 घण्टे में किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा अपने निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर व प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के निर्देशन में अपराध रोकथाम हेतु कार्यवाही कराते हुए थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई |

संक्षिप्त विवरण : -

दिनांक 10.02.2025 को थाना हाजा पर वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर अफरोज पुत्र अमरअली शाह निवासी मोहल्ला मामूडी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर द्वारा किराये के मकान में रह रही खुद की पत्नी शाजिदा को जान से मारने के संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 79/2025 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत कराया गया था। घटना की गंभीरता को लेते हुए प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के नेत्रत्व में घटना कारित करने वाले मुल्जिम की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। गहणता से पतारसी सुरागरसी करते हुए उक्त टीम द्वारा दिनांक 11.02.2025 को अभियुक्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर ककरा रोड़ पर बिजलीघर से आगे अभियुक्त अफरोज पुत्र अमरअली शाह निवासी मोहल्ला मामूडी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी किराये का मकान मोहल्ला ककरा कला थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर को समय करीब 11.32 बजे गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाने से विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त : -

अफरोज पुत्र अमरअली शाह निवासी मोहल्ला मामूडी थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी किराये का मकान मोहल्ला ककरा कला थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 32 वर्ष

गिरफ्तारी स्थान व समय :-

ककरा रोड़ पर बिजलीघर से आगे थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर समय 11.32 बजे

बरादमगी : -

निल

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-

1.प्र0नि0 अरविन्द सिह चौहान थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
2.उ0नि0 सुनील कुमार मौर्य सिह थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
3.रि0उ0नि0 मोहित अधाना थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 2070 मोनू कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

अपराधिक इतिहास :-

1.मु0अ0सं0 79/25 धारा -103(1) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी पूछताछ :-

अफरोज पुत्र अमर अली शाह निवासी मोहल्ला मामूडी थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर हाल पता किराये का मकान मोहल्ला ककरा कला थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 32 वर्ष ने पूछताछ करने पर अपने जुर्म का इकबाल करते हुये बताया कि साहब मेरी शादी आज से लगभग 13 वर्ष पहले साजिदा पुत्री सराफत नि0 ग्राम मुडिया पवार थाना सिधौली जनपद शाजहाँपुर के साथ हुई थी। मेरे व साजिदा के चार बच्चे हैं जिनमे बड़ी लड़की उम्र करीब 12 वर्ष, छोटी लड़की उम्र करीब 08 वर्ष तथा दो लड़के उम्र करीब 06 वर्ष तथा उम्र करीब 2.5 वर्ष हैं। मेरी पत्नी का चाल चलन कुछ दिनो से ठीक नही चल रहा था , मैने उसे कई बार समझाया लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नही हुई। इसी बात को लेकर मेरा अपनी पत्नी साजिदा के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता था तथा दिनांक 09/02/2025 को शाम के समय मै मजदूरी करके घर वापस आया था। मैने एक क्वार्टर शराब पी ली थी तब शाम के समय खाना खाने के बाद जब तीनो बच्चे सो गये तो मैने अपनी पत्नी से कहा कि तुम कुछ लोगों से ज्यादा बातचीत करती हो तुम्हारा कुछ चाल चलन ठीक नही लग रहा है तब उसने मना किया तो नशे मे होने के कारण मुझे गुस्सा आ गया। तब मैने अपनी पत्नी के साथ रात्री करीब 10.00 बजे के आस पास उसके साथ मारपीट करदी जब उसने भी विरोध किया तो मुझे और ज्यादा गुस्सा आ गया। तो मैने गुस्से मे अपनी पत्नी साजिदा के सिर के बाल पीछे से पकड़कर दीवार मे बनी ईंटो की अल्मारी मे जोर से उसका सर दो तीन बार मारा जो कि दीवार के कोने मे लगा उसके बाद मेरी बीबी साजिदा बेहोश होकर आगे दीवार के किनारे गिर गयी तब दोबारा मैने उसके सिर के बाल पकड़कर उसका सिर दीवार मे मार दिया जिससे उसके सिर मे काफी चोट आयी और वह मरणासन्न होकर जमीन पर गिर गयी। इसी बीच मेरी छोटी लड़की जाग गयी तो मैने उसे डांट दिया तो वह डर के मारे सहम गयी उस समय मेरी बड़ी लड़की घर पर नही थी। दोनो बच्चे सो रहे थे। बाद मे मैने अपनी पत्नी साजिदा को जमीन पर चादर के ऊपर लिटा दिया लिटाते समय उसके सिर का खून फर्स मे भी लग गया था और उसे रजाई उढ़ा दी ताकि किसी को पता न चले। उसके बाद मै अपने तीनो बच्चों लड़की व दोनो बेटे को अपने साथ लेकर मकान मे बाहर से दरवाजे को बन्द करके चला गया था। मैने अपने बच्चे अपनी माँ के पास मोहल्ला मामूड़ी मे छोड़ दिये थे। सुबह के समय मुझे पता चल गया ता कि मेरी पत्नी की मौत हो गयी है। आज मै पुलिस से बचने के लिये बाहर जाने की फिराक मे यहां पर खड़ा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गयी। मुझे माफ कर दो। मै अपनी शेष सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय मे दूंगा।